

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		vii
कार्यकारी सार		ix-xiv
अध्याय-1		
विहंगावलोकन		
राज्य का प्रोफाइल	1.1	1-4
राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1.1	1-4
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण	1.2	4
सरकारी लेखा संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	1.3	5-9
वित्तों के स्नैपशॉट	1.3.1	8-9
सरकार की परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का स्नैपशॉट	1.3.2	9
राजकोषीय शेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति	1.4	10-13
लेखापरीक्षा में जांच के बाद घाटा और कुल ऋण	1.5	14-16
राजस्व और राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	1.5.1	14
लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	1.5.2	14-16
अध्याय-2		
राज्य के वित्त		
प्रमुख राजकोषीय संचय में मुख्य परिवर्तन	2.1	17
निधियों के स्रोत एवं उपयोग	2.2	17-18
राज्य के संसाधन	2.3	19-33
राज्य की प्राप्तियां	2.3.1	19-21
राजस्व प्राप्तियां	2.3.2	21-32
पूँजीगत प्राप्तियां	2.3.3	32-33
संसाधन जुटाने में राज्य का निष्पादन	2.3.4	33
संसाधनों का अनुप्रयोग	2.4	33-50
व्यय की वृद्धि एवं संरचना	2.4.1	33-35
राजस्व व्यय	2.4.2	35-45
पूँजीगत व्यय	2.4.3	45-49
व्यय प्राथमिकताएं	2.4.4	49-50
प्रयोजन शीर्ष-वार व्यय	2.4.5	50
लोक लेखा	2.5	51-59
निवल लोक लेखा शेष	2.5.1	51-52
आरक्षित निधियां	2.5.2	52-57
राज्य की समेकित निधि अथवा लोक लेखा से बाहर की निधियां	2.5.3	57-59

	अनुच्छेद	पृष्ठ
लोक देयता प्रबंधन	2.6	59-67
देयता प्रोफाइल: घटक	2.6.1	60-64
ऋण प्रोफाइल: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	2.6.2	64-67
ऋण स्थिरता विश्लेषण	2.7	67-76
उधार ली गई निधियों का उपयोग	2.7.1	71-73
गारंटियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं	2.7.2	73-74
रोकड़ शेष का प्रबंधन	2.7.3	74-76
निष्कर्ष	2.8	76-77
सिफारिशें	2.9	77
अध्याय-3		
बजटीय प्रबंधन		
बजट प्रक्रिया	3.1	79-87
सतत विकास लक्ष्य बजट आबंटन	3.1.1	81-83
वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधान, वास्तविक संवितरण और बचत का सारांश	3.1.2	83
बजट मार्क्समैनशिप	3.1.3	83-87
विनियोग लेखे	3.2	87
बजटीय तथा लेखांकन प्रक्रिया की प्रामाणिकता	3.3	87-95
बिना सलाह के नए उप-शीर्ष/विस्तृत लेखा शीर्ष खोलना	3.3.1	87-88
अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	3.3.2	89
निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनःविनियोग	3.3.3	89-90
निधियां अभ्यर्पित न करना तथा अधिक अभ्यर्पित करना	3.3.4	90-91
बचत	3.3.5	91-94
अत्यधिक व्यय और इसका नियमितीकरण	3.3.6	94-95
बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियां	3.4	95-100
बजट अनुमान तथा अपेक्षा एवं वास्तविकता के मध्य अंतर	3.4.1	95-97
बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और वास्तविक व्यय	3.4.2	97-99
व्यय की अधिकता	3.4.3	99-100
आकस्मिक निधि से अग्रिम	3.4.4	100
चयनित अनुदानों की समीक्षा	3.5	100-111
अनुदान संख्या 10 की समीक्षा	3.5.1	101-105
अनुदान संख्या 20 की समीक्षा	3.5.2	105-111
निष्कर्ष	3.6	112
सिफारिशें	3.7	112

	अनुच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-4		
लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग व्यवहार		
ब्याज वहन करने वाले जमाओं के प्रति ब्याज के संबंध में देयता का निर्वहन न करना	4.1	113
बजट से बाहर उधार	4.2	113-114
राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां	4.3	114
स्थानीय निधियों की जमा राशि	4.4	114
उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	4.5	114-116
सार आकस्मिक बिल	4.6	116
लघु शीर्ष-800 का अविवेकी उपयोग	4.7	116-118
उच्च एवं प्रेषण के अंतर्गत बकाया शेष	4.8	118
विभागीय आंकड़ों का मिलान	4.9	119
नकद शेष का मिलान	4.10	119
प्रतिकूल शेष	4.11	119
लेखांकन मानकों की अनुपालना	4.12	120
लेखों के संकलन से संबंधित मामले	4.13	120
ऋणों एवं अग्रिमों का मिलान	4.13.1	120
प्रमाणीकरण के लिए स्वायत्त निकायों के लेखों के प्रस्तुतीकरण में विलंब	4.14	120-121
लेखों को प्रस्तुत न करना/प्रस्तुत करने में विलंब	4.15	121
विभागीय रूप से प्रबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां	4.16	121-122
लेखों की समयबद्धता और गुणवत्ता	4.17	122
दुर्विनियोग, हानियां, चोरी, इत्यादि	4.18	122-123
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.19	124
निष्कर्ष	4.20	124
सिफारिशें	4.21	124-125

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
1.1	राज्य प्रोफाइल	1.1	127
1.2	31 मार्च 2024 को राज्य सरकार की संक्षेपित वित्तीय स्थिति	1.3.2	128
2.1	वर्ष 2023-24 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	2.2	129-130
2.2	राज्य सरकार के वित्तों का समय क्रम डाटा	2.3.2.1	131-132
2.3	राजस्व प्राप्तियों के कुछ मुख्य शीर्षों में 31 मार्च 2024 तक राजस्व का बकाया	2.3.2.2 (iii)	133
2.4	वर्ष 2023-24 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विवरण संख्या 16 और 19) के अभिलेखों की तुलना में वित्त लेखों के अनुसार सरकारी निवेश	2.4.3.2 (ii)	134
2.5	कार्यान्वयनाधीन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण	2.4.3.2 (iii)	135
3.1	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन संशोधित अनुमानों में वापस ले लिया गया	3.1.3 (iii)(क)	136-137
3.2	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान कम किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया	3.1.3 (iii)(ख)	138-140
3.3	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए बजट अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ पांच करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान किया गया था लेकिन कोई व्यय नहीं किया गया था	3.1.3 (iii)(ग)	141
3.4	उन योजनाओं का विवरण जहां ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था, लेकिन व्यय मूल प्रावधान के 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(घ)	142
3.5	उन योजनाओं का विवरण (₹ 50 करोड़ और अधिक) जिनके लिए संशोधित बजट कम हुआ लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(ङ)	143-144
3.6	उन योजनाओं (₹ 50 करोड़ और अधिक) का विवरण जिनमें बजट अनुमान संशोधित अनुमान में कम कर दिया गया था लेकिन वास्तविक व्यय संशोधित अनुमान का 120 प्रतिशत से अधिक था	3.1.3 (iii)(च)	145
3.7	उन योजनाओं का विवरण जिनमें मूल अनुमान और संशोधित अनुमान (₹ 10 करोड़ और अधिक का प्रावधान) समान थे लेकिन व्यय प्रावधान का 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(छ)	146
3.8	उन योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक के बजट अनुमान को बढ़ाया गया था लेकिन व्यय संशोधित अनुमान के 80 प्रतिशत से कम था	3.1.3 (iii)(ज)	147
3.9	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए मूल अनुमान और संशोधित अनुमान में ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान समान था लेकिन व्यय प्रावधान का 120 प्रतिशत से अधिक था	3.1.3 (iii)(झ)	148

परिशिष्ट	विवरण	संदर्भ	
		अनुच्छेद	पृष्ठ
3.10	उन मामलों का विवरण जिनमें अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुआ	3.3.2	149-150
3.11	प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक की निधियों के अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनःविनियोग का विवरण	3.3.3	151-160
3.12	मार्च 2024 के अंत में ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण का विवरण	3.3.4	161-163
3.13	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण जहां प्रत्येक मामले में बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.5 (i)	164-165
3.14	उन योजनाओं का विवरण जिनमें बचत ₹ 100 करोड़ से अधिक थी	3.3.5 (i)	166-170
3.15	उन योजनाओं का विवरण जिनके लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान ₹ 10 करोड़ और उससे अधिक का प्रावधान था और बचत कुल प्रावधान का 50 प्रतिशत से अधिक थी	3.3.5 (ii)	171-174
3.16	वर्ष की अंतिम तिमाही/महीने में व्यय की अधिकता को दर्शाने वाला विवरण, जहां व्यय ₹ 10 करोड़ और कुल व्यय का 50 प्रतिशत और उससे अधिक है	3.4.3	175
3.17	2023-24 के दौरान तिमाहीवार व्यय दर्शाने वाला विवरण	3.4.3	176
3.18	अनुदान संख्या 10 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत	3.5.1 (iii)	177
3.19	अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2023-24 में बचत (₹ 10 करोड़ एवं 30 प्रतिशत) का योजनावार विवरण	3.5.2 (ii)	178-179
3.20	31 मार्च 2024 को बैंक बैलेंस दर्शाने वाला विवरण	3.5.2 (iv)	180
3.21	नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित राशि का विवरण	3.5.2 (iv)	181
3.22	नमूना-जांच की गई इकाइयों में 31 मार्च 2024 को अव्ययित शेष राशि का विवरण	3.5.2 (iv)	182
3.23	अनुदान संख्या 20 के अंतर्गत दो चयनित विभागों में 2021-24 के दौरान लगातार बचत	3.5.2 (vii)	183-184
4.1	राज्य में विद्यमान कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे अंतरित निधियां	4.3	185
4.2	31 मार्च 2024 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के विवरण	4.5	186-188
4.3	स्वायत्त निकायों द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखों के प्रस्तुतीकरण तथा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी	4.14	189-190